

15.09.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालत उपस्थित नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पेशी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील जजिले दस्तूर हो।

सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

